

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

कार्यालय आदेश

निदेशानुसार विभागीय अधिसूचना सं० 4014/एम० दिनांक 15.10.2018 के आलोक विभाग में योगदान देनेवाले नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे नियमित पदस्थापन होने तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:30 बजे तक अपनी उपस्थिति संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के समक्ष सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-


(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-प्र०-I/(रा०)नि०-04/18-~~4078~~/एम०, पटना, दिनांक-~~25/10/18~~

प्रतिलिपि:- नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
25/10

  
सरकार के अवर सचिव